



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 164613
04 01 2023



शकल-गब (प्रारंभ अ)

यह कि इन स्वकीय शकल गिब्रा (अवकाश) एवं डॉ० नलिनी गिब्रा (सविध), बाबुदेव मेमोठ ट्रस्ट, 188 अमराई गांव, इन्दिरा नगर लखनऊ शकलपूर्वक निम्नवत बयान करती है-

1. यह कि इनका ट्रस्ट द्वारा बाबुदेव स्वलेज ऑफ फार्मसी, 188, अमराई गांव, इन्दिरा नगर, लखनऊ नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि बाबुदेव मेमोठ ट्रस्ट, 188, अमराई गांव, इन्दिरा नगर, लखनऊ में गाटा संख्या 188, अमराई गांव रकबा क्रमांक 0.305 हेक्टर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि से गाटा संख्या 188 स्थित अमराई गांव एवं रकबा क्रमांक 0.305 हेक्टर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक-04.01.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रशस्त डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित करने के

SWORN VERIFIED
BEFORE ME
Kartikay Kumar Singh
Notary
Lucknow (U.P.) India
Date: 28/01/2023

निरीक्षण सचिबि के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी कारखाने और इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मसी कारखाने और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्रमों के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी कारखाने और इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद 30000 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया जायेगा और भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. इस संस्था में संचालन हेतु आवश्यक बलास खन, प्रयोगशालाओं एवं कारखानाओं आदि को फार्मसी कारखाने और इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अर्थिक स्टाफ की तैयारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र 2020-21 में शुरू कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का गंभीरता से पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय राष्ट्रीय निरीक्षण में मानकानुसार खेद भी कभी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं समझौता सचिबि द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हू कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में किसी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अनिलेख/दस्तावेज कर्णों कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निष्पत्तनुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी ही गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।


Kartikay Kumar Singh
सचिव
बासुदेव मेमोरियल ट्रस्ट
लखनऊ



SWORN VERIFIED
BEFORE ME
Kartikay Kumar Singh
Notary
Lucknow (U.P.) India
Date: 22/8/2020

I know and identify the deponent who has signed/put T.I. before me